

प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :-20.09.2025

नाबालिग के साथ बलात्कार के अभियोग से सम्बन्धित/वांछित अभियुक्त को कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु०अ०सं० 237/2025 धारा 115(2)/65(1)/351(2) बी.एन.एस. व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित नामजद/वांछित अभियुक्त राजवीर पुत्र मिश्रीलाल निवासी बड़ा ताल धन्सुआ थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. राजवीर पुत्र मिश्रीलाल निवासी बड़ा ताल धन्सुआ कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- वादी द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि दिनांक 17.09.2025 को अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ मारपीट कर बलात्कार किया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 237/2025 धारा 115(2)/65(1)/351(2) बी.एन.एस. व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम राजवीर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 20.09.2025 को अभियुक्त राजवीर उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त ने पूछताछ पर अपनी गलती की माफी मांगते हुए अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में देना बताया।

अभियुक्त राजवीर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 237/2025 धारा 115(2)/65(1)/351(2) बी.एन.एस. व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक रणविजय सिंह
- 2.उ0नि0 नितिन कुमार
- 3.का0 सचिन कुमार
- 4.का0 सोनवीर

मीडिया सेल फतेहगढ़।

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक :- 20-09-2025

नाबालिग के साथ बलात्कार के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को थाना कमालगंज पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरिश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 300/2025 धारा 64 BNS व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त कैफ अली पुत्र समीम अली निवासी ढपलपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. कैफ अली पुत्र समीम अली निवासी ढपलपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- आवेदक द्वारा दिनांक 17.09.2025 को थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री के साथ बलात्कार किया गया है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 300/2025 धारा 64 बीएनएस, ¾ पॉक्सो एक्ट बनाम कैफ अली उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 20.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त कैफ उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- कैफ अली पुत्र समीम अली निवासी ढपलपुर थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी है, शेष सफाई मैं अपने वकील के माध्यम से मा0न्यायालय में दूंगा।

अभियुक्त कैफ अली उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 300/2025 धारा 64 B.N.S ¾ पॉक्सो एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
2. का0 अर्जुन सिंह यादव
3. का0 मोहन लाल

मीडिया सेल फतेहगढ़।

दिनांक :- 20.09.2025

“मिशन शक्ति फेज-5” का भव्य शुभारंभ – महिला सशक्तिकरण की ओर एक और कदम”

मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उ0प्र0 सरकार द्वारा लोक भवन सभागार, लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित 'मिशन शक्ति-5.0' का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के सभी थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन करते हुए मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित SOP की पुस्तिकाओं का विमोचन एवं विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जनपद फतेहगढ़ के समस्त थानों पर इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से प्रसारण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, स्कूल-कॉलेजों की छात्राएं, शिक्षकगण तथा पुलिस अधिकारी-कर्मचारी सम्मिलित हुए।



लाइव प्रसारण के माध्यम से लोगों को "मिशन शक्ति" अभियान के उद्देश्यों, महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों, हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1090, 181, 112 आदि) तथा महिला हेल्प डेस्क की सुविधाओं के बारे में जागरूक किया गया।

मीडिया सेल फतेहगढ़।

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फतेहगढ़

दि०-20.09.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1 असलम उर्फ टिन्चू पुत्र आलमशेर 2. अरशद पुत्र आलमशेर 3. अलाउद्दीन पुत्र शाहबुद्दीन निवासी गण नगला रखा देवी सिंह थाना को० फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ 4. मुकीम पुत्र हनीफ निवासी दाईपुर थाना कन्नौज जनपद कन्नौज मु०अ०स०-459/2002 वाद संख्या 314/2002 धारा 3(1) उ० प्र० गैंगेस्टर को० फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 20.09.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 06-06 वर्ष का कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी- श्री शैलेश कुमार



को० मो० हे०का० राजेश कुमार



पैरोकार हे० का० श्याम सिंह



पैरोकार हे० का० शैलेन्द्र कुमार

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कम्पिल

दि0-20.09.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मकरन्द पुत्र मोहकम निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0-49/1994 वाद स0-275/2002 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 20.09.2025 को मा0 न्यायालय जेएम कायमगंज कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 01 वर्ष का साधारण कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ - श्री अंकित कुमार



को0मो0 हे0 का0 सुबोध कुमार



पैरोकार - का0 टिल्लु कुमार